

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विशय:- नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2021/9-1-16-185सा/10 टीसी दिनांक 04.07.2016 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- शासनादेश संख्या-3291/9-1-16-141रिट/2016 दिनांक 18.11.2016 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों का सन्दर्भ देते हुए पुनः निर्देश दिए गये थे कि नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० के पत्र संख्या-सांख्यिकी सेल(च)/780/संविदा सफाई दिनांक 08.12.2016 द्वारा प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया।

3- शासनादेश संख्या-3550/9-1-16-141रिट/2016 दिनांक 14.12.2016 के माध्यम से जनपदों की नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करके चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० के पत्र संख्या-सांख्यिकी सेल(च)/784/संविदा सफाई दिनांक 15.12.2016 द्वारा कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार पूर्ण कराते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

4- जनपदों/निकायों से प्राप्त भर्ती सम्बन्धी सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपदों/निकायों में संविदा पर सफाई कर्मिकों की भर्ती/चयन संबंधी कार्य में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो शासन के आदेशों की अवहेलना व पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी शिथिलता का द्योतक है।

5- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद की नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण करके चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में आपकी उदासीनता/शिथिल पूर्ण कार्य प्रणाली हेतु आपको उत्तरदायी मानते हुए आपके विरुद्ध कार्यवाही हेतु नियुक्ति विभाग को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।

भवदीय,  
(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--
1. संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
  2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(शशि कान्त कनौजिया)  
अनु सचिव।